

FORM-1

(For linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District collector Chhindwara

No. 1018/1-ATW/2015-16

Dated 15/03/2016

TO WHOM IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98FC(pt.) dated 3rd august 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having 2009 where and completed the process of settlement of rights u under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (Recognition of forest right) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest and proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 80.757 hectare of forest land proposed to be diverted in favor of chhindwara plus Developers pyt.Ltd.9 Imambada Rood Nagpur (name of user agency) for Special Econoimic Zone (S.E.Z) (purpose for diversion of forest land) in Chhindwara District falls within jurisdiction of gram satnur,khapakarimvar,dudhalakhurd,savanga, kodadhongri b-1 , kodadhongri b-2, kodadhongri davami, kodadhongri malgujari, gondiwadhona, gowariwadhona (s) in tehsil Saunsar,

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 80-757 hectares of forest area proposed for diversion . A copy of records of all consultations and meetings of the Forest rights Committee (s) Gram sabha (s), sub -Division level Committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure A, B to C annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized right of primitive and pre-agricultural community



Collector

District Chhinwara M.P

(पृष्ठ-2)

4: प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा एवं निर्णय तभी लिया गया जब ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों का न्यूनतम 50 प्रतिशत कोरम पूर्ण था।

5: आवेदक शाखा प्रबंधक, मेसर्स छिन्दवाडा प्लस डेव्हलपर्स 9 इमामबाडा रोड नागपुर द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक झोन (S.E.Z) के निर्माण हेतु वनभूमि (चराई मरधट, राहत कार्य रोड मद् में दर्ज है) जो अंकित हैं। मध्यप्रदेश शासन की सभी शर्तों का पालन करने हेतु वचन दिया गया है। शर्तों के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। शर्तों का पालन न करने पर सहमति स्वयं निरस्त मानी जावेगी।

अतः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सौंसर के प्रतिवेदन के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त भूमि का प्रयोजन प्रस्तावित कार्य के लिये ही मान्य होगा।



पृ0क0 / 1018 / वनअधिकार / आवि / 2016
प्रतिलिपि:-

1. वन संरक्षक, वनवृत्त छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी दक्षिण वनमंडल छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. शाखा प्रबंधक, मेसर्स छिन्दवाडा प्लस डेव्हलपर्स 9 इमामबाडा रोड नागपुर।
4. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सौंसर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सौंसर की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर जिला छिन्दवाडा
अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
जिला छिन्दवाडा.
छिन्दवाडा, दिनांक 15/03/2016

कलेक्टर जिला छिन्दवाडा
अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
जिला छिन्दवाडा.

:: कार्यालय कलेक्टर, (आदिवासी विकास) छिन्दवाडा म0प्र0 ::

:: संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र ::

क्रमांक/ 1018 / वनअधिकार/आवि/2016

छिन्दवाडा, दिनांक 15/03/2016

1: आवेदित विभाग शाखा प्रबंधक, मेसर्स छिन्दवाडा प्लस डेव्हलपर्स 9 इमामबाडा रोड नागपुर ने अपने पत्र क्रमांक-सीपीडीएल/112/15-16 दिनांक 15 मार्च 2016 द्वारा प्रस्तुत कर छिन्दवाडा जिले के तहसील-सौसर के ग्राम सातनूर, खापाकरीमवार, दुधालाखुर्द, सावंगा, कोदाडोगरी बी.1, कोदाडोगरी बी.2, कोदाडोगरीदवामी, कोदाडोगरी मालगुजारी, गोंडीवाढोना, गोवारीवाढोना, में स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (S.E.Z) के निर्माण हेतु वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि क्षेत्रफल 80.757 हे० पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यपवर्तन एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है।

2: उक्त के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सौसर के प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम सातनूर, खापाकरीमवार, दुधालाखुर्द, सावंगा, कोदाडोगरी बी.1, कोदाडोगरी बी.2, कोदाडोगरीदवामी, कोदाडोगरी मालगुजारी, गोंडीवाढोना, गोवारीवाढोना, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि कुल क्षेत्रफल 80.757 हेक्टेयर पर स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (S.E.Z) के निर्माण हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यपवर्तन एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जाकर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के उपयोग हेतु दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

राजस्व वन भूमि का कुल रकबा 80.757 हेक्टेयर का विवरण निम्नानुसार है।

क्र०	ग्राम का नाम	खसरा नं०	कुल रकबा हे० में	मद
1	सातनूर	56,59,61,84,87,123,131,136,137,138,139, 145, 265, 293,310,316,334	9.389	छोटे झाड़ का जंगल।
2	खापाकरीमवार	23,26,28,29,30,38,51,62,76,118,121,122, 132	2.679	छोटे झाड़ का जंगल।
3	दुधालाखुर्द	12,29,30,31,40,46,49,50,55,67,68,69,70,73,74 75, 76,77,95,98,102, 109,110,118,119,120	24.837	छोटे झाड़ का जंगल।
4	सावंगा	426, 467, 486, 487	1.368	छोटे झाड़ का जंगल।
5	कोदाडोगरी बी-1	2, 8, 18,	13.310	छोटे झाड़ का जंगल।
6	कोदाडोगरी बी-2	19/4, 41	2.775	छोटे झाड़ का जंगल।
7	कोदाडोगरी दवामी	1, 4, 6, 10	3.278	छोटे झाड़ का जंगल।
8	कोदाडोगरी मालगुजारी	43,46,48,52,57,61,69,104,107,111,113,134	3.291	छोटे झाड़ का जंगल।
9	गोंडीवाढोना	296,297,298,299,320,326	4.605	छोटे झाड़ का जंगल।
10	गोवारीवाढोना	391	6.895	छोटे झाड़ का जंगल।
11	कन्हान सामान्य	कक्ष क्रमांक पी. 1593	8.33	
		कुल योग:-	80.757	

3: यह प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक हुई ग्राम सभा बैठक में पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा में समक्ष रखा जा चुका है। प्रस्ताव का विस्तृत विवरण तथा उसके प्रभावों की व्याख्या उन्हे स्थानीय भाषा में की जा चुकी है। अथवा यह कि व्यपवर्तन हेतु आवेदित क्षेत्र पर किसी व्यक्ति या समुदाय का कोई दावा नहीं होने के कारण यह बिन्दु लागू नहीं है। (जो लागू नहीं हो उसे काट दे) साथ ही जिले के अंतर्गत संपूर्ण आवेदित ग्राम सातनूर, खापाकरीमवार, दुधालाखुर्द, सावंगा, कोदाडोगरी बी.1, कोदाडोगरी बी.2, कोदाडोगरीदवामी, कोदाडोगरी मालगुजारी, गोंडीवाढोना, गोवारीवाढोना, में किसी रहवास या राजस्व ग्राम की सीमा नहीं है। (यदि लागू हो तो) यदि शाखा प्रबंधक, मेसर्स छिन्दवाडा प्लस डेव्हलपर्स 9 इमामबाडा रोड नागपुर द्वारा शर्तें मंजूर नहीं की गईं तो प्रस्ताव अमान्य माना जायेगा।



(Handwritten signature)